भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फा.सं.एल-33/026/2014-एमपीलैड्स

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Dated 29.12.2016

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड्स निधि जारी करना ।

महोदय/महोदया,

मंत्रालय में एमपीलैड्स निधि जारी करने के संबंध में स्पष्टीकरणों की मांग के संदर्भ प्राप्त हुए हैं ।

2. दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जो इस प्रकार है:-

"4.3 लोक सभा के गठन अथवा राज्य सभा सदस्य के निर्वाचन के समय 2.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त वित्त वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाएगी ।

शेष वर्षों में, पहली किस्त वित्तीय वर्ष के आरंभ में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जाएगी:

(i) संबंधित सांसद की पिछले वर्ष की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी हो

(ii) पिछले वर्ष का एक अनंतिम. उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन जिसमें पिछले वर्ष की पहली किस्त के कम से कम 80% व्यय को शामिल किया गया हो और

(iii) संबंधित सांसद की निधि का अव्ययित शेष 3 करोड़ रु. से कम हो ।

एमपीलैड्स निधियों की दूसरी किस्त निम्नलिखित पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अध्यधीन जारी की जाएगी:-

(i) सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध अस्वीकृत शेष राशि 1 करोड़ रुपए से कम हो;

(ii) संबंधित संसद सदस्य की निधि का अव्ययित शेष 2.5 करोड़ रुपए से कम हो; और

(iii) पिछले वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र और पिछले वर्ष से पूर्व के वर्ष में संबंधित संसद सदस्य को जारी निधि का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र (क्रमशः दिशानिर्देशों के अनुबंध VIII एवं IX में दिए गए फॉर्मेट में) जिला प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका हो ।

उपर्युक्त अनुबंधों की गणना पृथक रूप से प्रत्येक वर्तमान और पूर्व सांसद के लिए कार्यकाल-वार मासिक प्रगति रिपोर्ट से की जाएगी । मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुबंध VI में दिए गए फॉर्मेट में भेजी जानी चाहिए ।"

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साई बाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।